

कार्यालय कलेक्टर, जिला-धमतरी (छ.ग.)  
 // संशोधित-सार्वजनिक सूचना //

1111/6352/भू-अर्जन/123/2022

धमतरी, दिनांक 23 / 05 / 2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की कचना-बिरेझर-सिरी-मौरी मार्ग का मजबूतीकरण हेतु ग्राम-मड़ेली, पटवारी हल्का नंबर 02, तहसील-भखारा, जिला-धमतरी स्थित निजी भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016 के प्रावधानों के तहत नीचे दी गयी अनुसूची में वर्णित भूमि को कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग धमतरी के पक्ष में क्रय करने पर विचार किया जा रहा है।

भूमि का विवरण				
भूमिस्वामी का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	आपसी सहमति से क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी
1	2	3	4	5
नीरज पिता मोहन	338	0.61	0.01	कलेक्टर जिला धमतरी
सुशील कुमार पिता पंचराम	426	0.19	0.0060	
खोरबाहरा पिता सहदेव	640	0.03	0.0048	
भीखम, जितेन्द्र, मुरलीधर, ओमप्रकाश, देवकुमारी पिता श्यामलाल, घुरवा पति श्यामलाल, दशोदा बेवा फिरंता, जयंत, कीर्तनलाल पिता चंदुलाल	675 / 1	0.14	0.0032	
रंभाबाई जौजे मदनलाल	675 / 2	0.24	0.0030	
भेकराज, जीतन, डानेश्वरी, कौशिल्या पिता वासुदेव युवराज पिता गजेन्द्र	677	0.37	0.0052	
टेकमसिंग, गिरधारी पिता बिसौहा	682	0.04	0.0104	
छम्मनलाल पिता प्रहलाद	683	0.08	0.035	
धनेश्वर पिता गिरधर	684	0.03	0.0072	
नीरज पिता सुदर्शन	686	0.25	0.0062	
डायमंड, उमाशंकर, गोपेश्वरी, नुतन पिता अशोक कुमार, नीराबाई पिता अशोक कुमार	695 / 1	0.05	0.0032	
गिरीश कुमार पिता बोधनलाल	695 / 2	0.05	0.0030	
नरसिंग पिता नाथूराम	696	0.018	0.0080	
लखन पिता कंगलू	1161 / 1	1.25	0.0080	
पापालाल पिता जयराम	1184	0.45	0.0185	



पुनई पिता फुलसिंग	1185	0.32	0.0145	
रघुनंदन पिता मनराखन	1188 / 1	0.39	0.0320	
नारायण गिरी, मोहन गिरी, विजय गिरी, मंगल गिरी पिता भरत गिरी गोस्वामी, अजीत गिरी पिता नारायण गिरी, भगवतीदेवी उर्फ राधा देवी जौजे नारायण गिरी, समीर गिरी पिता मोहन गिरी, विमलाबाई पिता अर्जुन गिरी	1218 / 2	0.32	0.3200	
शारदा देवी पति लोकनाथ	305 / 1	3.480	0.0144	
पुनई बाई जौ. फुलसिंह	1196	0.210	0.0256	कलेक्टर जिला धमतरी
मनसिंग पिता भूखन	1189	0.370	0.0528	
ओमन रोहरणी बेवा लीलाराम	1193	0.400	0.0240	

02- यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति आधार सहित लिखित में कलेक्टर धमतरी के समक्ष स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।

  
कलेक्टर,

जिला-धमतरी

पृ0कमांक/5393/भू-अर्जन/123/2022  
प्रतिलिपि:-

धमतरी, दिनांक 23/05/2022

1. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कुरुद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग धमतरी को सूचनार्थ। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना एक स्थानीय और एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. जिला प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला-धमतरी को सूचनार्थ। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना को छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग के बेबसाईट एवं स्थानीय बेबसाईट पर अपलोड करें।
4. तहसीलदार भखारा तहसील कार्यालय एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पटल में प्रकाशन हेतु।

  
कलेक्टर,

जिला-धमतरी